UPBJ010019792026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (राम अवतार यादव) (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP06041

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 595/2026

चन्द्रपाल सिंह आदि **बनाम** उ0प्र0 सरकार

दिनाँक 11–03–2026

आदेश

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा संलग्न प्रपत्रों प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया।

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **चन्द्रपाल सिंह** पुत्र कल्याण सिंह, **कल्याण सिंह** पुत्र मुरली सिंह, **मुन्नी देवी** पत्नी कल्याण सिंह व **गौरव** पुत्र कल्याण सिंह, की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 207/2025, धारा– 82, 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना शेरकोट, जिला बिजनौर में अग्रिम जमानत हेतु इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उन्हें उपरोक्त मामले में गलत रूप से फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध नहीं किया है। तथाकथित घटना का कोई स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रार्थी सं0–1 वादिनी का पति, प्रार्थी सं0–2 वादिनी का ससुर, प्रार्थिनी सं0–3 वादिनी की सास एवं प्रार्थिनी सं0–4 वादिनी का देवर है। प्रार्थीगण ने वादिनी से कभी दहेज की मांग नहीं की है और न ही उसे किसी प्रकार से कभी प्रताड़ित किया है। प्रार्थी चन्द्रपाल सिंह ने वादिनी मुकदमा से दूसरी शादी की थी, जिसका वादिनी मुकदमा को पूर्ण ज्ञान था, क्योंकि पहली पत्नी से एक पुत्र भी है, जिसकी उम्र करीब चार वर्ष है। पहली पत्नी रूकमणी और दूसरी पत्नी नीशू आपस में सगी मौसेरी बहने हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी देरी से लिखायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कथित अपराध में सभी धाराएं मजिस्ट्रेट ट्रायल व सात साल से कम सजा का प्रावधान है। प्रार्थीगण को सम्बन्धित पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सम्भावना है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः याचना की गयी है कि उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण उपरोक्त पर एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा नीशू को झांसा देकर पहली पत्नी के जीवित रहते हुए उसकी दूसरी शादी अभियुक्त चन्द्रपाल के साथ कराने, गाली–गलौच करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2026.03.11 17:12:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त चन्द्रपाल पीड़िता का पति है। अभियुक्तगण पर एकराय होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त चन्द्रपाल ने पहली पत्नी रूकमणी उर्फ रूपाली के जीवित रहते हुए वादिनी मुकदमा नीशू के साथ दिनांक 01–03–2025 को पुनः विवाह किये जाने, गाली–गलौच करने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया गया है। अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ ही अभियुक्तगण की ओर से एक अन्य अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 55/2026 मुकदमा अपराध संख्या– 38/2025, धारा– 85, 115(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना महिला थाना बिजनौर में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वादिनी मुकदमा रूकमणी उर्फ रूपाली है। अभियुक्तगण उपरोक्त पर गम्भीर प्रकृति का आरोप आरोपित है। उपरोक्त प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। यदि अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया तो इससे विवेचना पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। वादिनी मुकदमा की ओर से लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया गंभीर व संज्ञेय प्रकृति का अपराध बनना परिलक्षित होता है।

अतः उपरोक्त मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

तद्नुसार अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनाँक 11–03–2026

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1,
बिजनौर।